Gap Inc.

विक्रेता आचार संहिता

यह विक्रेता आचार संहिता Gap Inc. के लिए उत्पादों का उत्पादन करने वाले सभी कारखानों अथवा इसकी किसी भी सहायक संस्थाओं, विभागों, सम्बद्ध संगठनों अथवा एजेंटों पर लागू होती है।

यद्यपि Gap Inc. इस बात को स्वीकार करता है कि विश्व भर में ऐसे विभिन्न कानूनी और सांस्कृतिक परिवेश हैं जनमें कारखाने कार्य करते हैं, यह संहिता उन मूल आवश्यकताओं को प्रतिपादित करती है जिन्हें सभी कारखानों को Gap Inc. के साथ व्यापार करने हेतु पूरा करना होता है। यह संहिता, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के प्रमुख समझौतों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य श्रम मानकों और सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पर आधारित है। यह संहिता, Gap Inc. द्वारा किसी भी कारखाने की रोजगार पद्धतियों और पर्यावरणीय अनुपालन की नियमित मूल्यांकन के लिए आधार प्रदान करती है।

I. कानूनों का पालन

Gap Inc. के लिए वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखाने अपने-अपने देशों के कानूनों तथा अन्य लागू होने वाले सभी नियमों और विनियमों का पूर्ण पालन करके कार्य संचालित करेंगे। Gap Inc. के साथ व्यापार करने की यह शर्त है कि प्रत्येक विक्रेता को विक्रेता आचार संहिता का आवश्यक रूप से पालन करना होगा। Gap Inc. अनुपालन के मूल्यांकन तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और उपचार प्रणालियां विकसित करना जारी रखेगा। जब भी स्थानीय कानूनों तथा Gap Inc. की विक्रेता आचार संहिता के नियमों में कोई अंतर हो तो अधिक कठोर अनिवार्यता लागू होगी। विक्रेता और उनके सहायक विक्रेता Gap Inc. की वस्तुओं के उत्पादन के लिए केवल Gap Inc. द्वारा स्वीकृत कारखानों का प्रयोग करेंगे। उत्पादन शुरू करने से पहले कारखानों के प्रयोग हेतु विक्रेता Gap Inc. से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करेंगे।

II. पर्यावरण

कारखाने सभी लागू होने वाले पर्यावरणीय कानूनों और विनियमों का पालन करेंगे। कारखानों को वातावरण पर अपने प्रभाव का प्रबंधन अवश्य करना चाहिये जिसमें ऊर्जा और ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन, वायु प्रदूषण (हवा में उत्सर्जन), जल खपत, जल गुणवत्ता, अपशिष्ट जल, कचरे का व्यापवर्तन और निपटान तथा रसायनों का प्रयोग एवं संभालना शामिल हैं।

III. श्रम

A. बाल श्रम

कारखाने केवल उन्हीं श्रमिकों को कार्य पर लगाएंगे, जो लागू होने वाले न्यूनतम कानूनी आयु शर्त को पूरा करते हैं अथवा जो कम से कम 15 वर्ष की आयु के होते है, जो भी अधिक हो। कारखानों को अन्य सभी लागू होने वाले बाल श्रम कानूनों का पालन भी अवश्य करना चाहिए। कारखानों को अपने श्रमिकों के शैक्षिक लाभ के लिए विधिसंगत कार्यस्थल अप्रैंटिसशिप प्रोग्राम तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, बशर्ते कि सभी भागीदार Gap Inc.'s द्वारा निर्धारित 15 वर्ष के न्यूनतम आयु मानक और न्यूनतम कानूनी आयु शर्त को पूरा करते हैं।

B. विदेशी ठेका श्रमिक शर्तें (यदि लागू हों)

जो कारखाने विदेशी ठेका श्रमिकों को भर्ती करते है या कार्य पर लगाते है, वे यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें अपने स्थानीय श्रमिकों के बराबर दर्जा दिया जाता है। प्रवासी कामगरों को किसी भी प्रकार की जबरन मजदूरी, अनिवार्यता, बंधुआ मजदूरी के अधीन नहीं किया जाएगा। सारा कार्य स्वैच्छिक होना चाहिए और श्रमिक किसी भी समय अपना रोजगार छोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रवासी श्रमिकों (या उनके परिवार के सदस्यों) को किसी भी समय बिना जुर्माने के काम छोड़ने या स्वेच्छा से रोजगार ग्रहण करने के लिए अधिकारियों के समक्ष आरोपित करने की धमकी नहीं दी जानी चाहिये।

C. भेदभाव

कारखाने श्रमिकों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर नियुक्त करेंगे, न कि उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं अथवा मान्यताओं के आधार पर।

D. जबरन श्रम

कारखानें किसी भी प्रकार के अनैच्छिक श्रम जिसमें जेल के श्रमिक, ऋण बंधुआ, गुलाम श्रमिक या सरकार द्वारा बंधुआ श्रमिक शामिल हैं, का प्रयोग नहीं करेंगे।

E. संगठन की स्वतंत्रता

श्रमिक अपनी पसंद के संगठनों से जुड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। कारखाने उन श्रमिकों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो शांतिपूर्वक और विधिसम्मत रूप से सम्बद्ध, संगठित होना अथवा सामूहिक रूप से सौदा करना चाहते हैं। ऐसा करने या न करने का फैसला पूर्ण रूप से श्रमिकों द्वारा लिया जाना चाहिए।

F. मानवीय व्यवहार

कारखाने सभी श्रमिकों के साथ आदर और सम्मान के साथ पेश आएंगे। कारखाने शारीरिक दण्ड अथवा किसी अन्य प्रकार के शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक दबाव का प्रयोग नहीं करेंगे।

G. वेतन और लाभ तथा नियुक्ति के नियम

कारखाने वेतन और ओवरटाइम के भुगतान में लागू होने वाले कानूनों का अनुपालन करेंगे। श्रमिकों को कम से कम न्यूनतम कानूनी वेतन अथवा स्थानीय उद्योग मानकों के अनुरूप वेतन, जो भी अधिक हो, दिया जाएगा। कारखानों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ऐसे वेतन और लाभ दें, जो श्रमिकों की मूल आवश्यकताओं तथा कुछ विवेकाधीन आय को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो।

H. कार्य घंटे

कारखाने, कार्य घंटे के निर्धारण में लागू होने वाले सभी कानूनों का अनुपालन करेंगे। यद्यपि इस बात को समझा जाता है कि ओवरटाइम की ज़रूरत अक्सर गारमेंट (परिधान) उत्पादन में होती है, कारखाने ऐसे तरीकों से कार्य करेंगे जिससे ओवरटाइम उस स्तर तक सीमित हो जाएगा जिसमें मानवीय और उत्पादनकारी कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित हो सकती हैं।

IV. कार्य दशाएं

A. व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

कारखाने, कार्य दशाओं से संबंधित सभी लागू होने वाले कानूनों और विनियमों का पालन करेंगे और श्रमिकों को एक सुरक्षित एवं स्वस्थ परिवेश प्रदान करेंगे।

B. आवास (यदि लागू हो)

जो कारखाने श्रमिकों के लिए आवास प्रदान करते हैं, वे इन सुविधाओं को साफ एवं सुरक्षित रखेंगे।

V. प्रबंधन प्रणाली

कारखानों की स्थायित्व प्रबंधन प्रणाली की संरचना ऐसे उपयुक्त परिचालन नियंत्रणों के साथ की जाये जिस-से लागू कानूनों, विनियमों और इस विक्रेता आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकें। प्रबंधन प्रणाली द्वारा स्थायित्व जोखिमों की पहचान और नियंत्रण तथा निरंतर सुधार की सुगमता होनी चाहिये

GAP BANANA REPUBLIC OLD NAVY ATHLETA